

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2875 /

जबलपुर, दिनांक 18/06/2018

श्री सुनील कुमार पाठक, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय, जबलपुर से बी.ए. तृतीय वर्ष सत्र 2018-19 की परीक्षा में स्वाध्यायी रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(मो. फहीम अनवर)

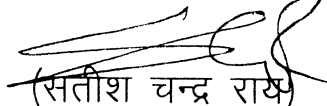
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2876 /

जबलपुर, दिनांक 18/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वार्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री सुनील कुमार पाठक, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय) 11.6.18
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
RJR